कार्यालय नगर पंचायत, बख्तियारपुर (पटना)
पत्रांक 821 दिनांक 14.11.15

प्रेषक
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बख्तियारपुर (पटना)

सेवा में,
महालेखाकार (ले०प०)
बिहार, पटना

S.O.7

विषय:- अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 443/2012-13 एवं 617/2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग... उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 4608 दिनांक 5.11.15

श्री संजीव जी
11/12

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 617/2011-12 एवं 443/2012-13 का शेष अनुपालन प्रतिवेदन उत्तर कंडिकाओं की साक्ष्य के साथ पत्र के साथ संलग्न कर विलोपित हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ले० सं० 549
14/12/15

अनु०-यथोक्त

(ह०) 14/11/15
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बख्तियारपुर
14/11/15

ज्ञापांक - 821 दिनांक 14.11.15

प्रतिलिपि- उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना का पत्रांक 4608 दिनांक 5.11.15 के अनुपालन में अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 443/2012-13 एवं 617/2011-12 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(ह०) 14/11/15
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बख्तियारपुर
14/11/15

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 617/11–12

अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

क0 सं0	कंडिका सं0	आंकेक्षण आपत्ति	नगर पंचायत का अनुपालन	आकेक्षण दल का मतव्य	लेख परीक्षा कार्यालय की कार्रवाई
1.	3	लेखा परीक्षा की परिसिया	महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए परिशिष्ट I एवं II में अभिलेखो की प्रारम्भ कर दी गयी है।		
2.	15	महत्वपूर्ण करो का अधिरोपण (क) आपत्तिजनक एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर (ख) पेशाकर (ग) विज्ञापन कर	नगर पंचायत, बख्तियारपुर के निर्वाची मंडल एवं सशक्त समिति द्वारा कमशः दिनांक 26.12.13 एवं दिनांक 23.12.13 को आपत्ति जनक एवं खतरनाक व्यवसाय कर पेशा कर एवं विज्ञापन पर कर लगाने के दर निर्धारित किया गया जिसे स्वीकृत हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को नगर पंचायत, बख्तियारपुर का पत्रांक 128 दिनांक 20.2.14 दिनांक 115 दि0 22.2.14 एवं पत्रांक 195 दिनांक 25.3.14 द्वारा भेजा गया है। अभी तक स्वीकृत होकर विभाग से प्राप्त नही हुआ है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
3.	18	शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि जमा नही	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा सम्बन्धित लेखा में शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का जमा किया गया है। चलान की छाया प्रति संलग्न है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जाय।		
4.	19	मोबाईल टावर	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा उच्च न्यायालय में केस चलने के फलंस्वरूप राशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित मोबाईल टावरों के मालिक को नोटिश नही भेजा गया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के पश्चात् सभी मोबाईल टावरो को बकाया के साथ राशि जमा करने हेतु नोटिश इस कार्यालय द्वारा भेजा गया है। नोटिश की छाया प्रति संलग्न है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		

5.	21	सैरातो की बन्दोस्ती का एकरनामा स्टाम्प पेपर पर नही।	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा बन्दोबस्ती का स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कराना प्रारम्भ कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न) उपरोक्त तथ्यो के अलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
6.	25	वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में ली गयी योजनाए	नगर पंचायत, बख्तियारपुर द्वारा अधिक भुगतान की राशि को कार्यालय में जमा करने का नोटिश दिया जा रहा है। आयकर एवं सैल टैक्स के मद में काटी गई है। उसे कार्यालय में जमा हेतु नोटिस दिया जा रहा है।		
7.	28	श्रम सेस की कटौती नही	नगर पंचायत, बख्तियारपुर में श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का पत्र सं0 39 दिनांक 19.06.08 के अनुपलब्धता के कारण श्रम सेस के 1% की कटौती नही की गयी। उक्त विषय पर पत्र प्राप्त होते ही 1% की कटौती वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ कर दी गयी है। कोषागार कार्यालय बाढ़ द्वारा सीधे नगर पंचायत, बख्तियारपुर के पी0 एल0 एकाउन्ट के डेबिट कर सम्बन्धित मद में जमा कर दिया जाता है। पी0 एल0 एकाउन्ट के अतिरिक्त लेखा से श्रम सेस की कटौती को ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया है। (छाया प्रति संलग्न) उक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
8.	29	भविष्य निधि कटौती की राशि जमा नही	कर्मचारियो के वेतन से काटी गई अंशदायी भविष्य निधि की राशि को खाता खोलवाकर जमा की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है। अगले अंकेक्षण दल को अद्यतन स्थिति दिखला दी जाएगी। अतः कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
9.	30	अंशदायी भविष्य निधि की कम कटौती	अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वेतन एवं महगाई भता का नियामानुकूल 10% कटौती की जा रही है। उदाहरण हेतु एक माह का वेतन से छाया प्रति संलग्न की जा रही है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		

10.	31	समूह वीमा की वेतन से कटौती नही	नगर निगम वोर्ड एजेन्सी जैसे कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी की भॉति वेतन से समूह वीमा की राशि की कटौती कर जमा करने का प्रावधान नही है। भारतीय जीवन वीमा निगन से समूह वीमा योजना कराने के लिए कम से कम 15 (पन्द्रह) कर्मचारी होना अतिआश्यक है। नगर पंचायत, बख्तियारपुर में नियमित मात्र 09 (नौ) ही कर्मचारी है। इसी कारण अभी तक इस योजना से यहाँ के कर्मी वंचित है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जायं।		
11.	32	दैनिक मजदूरी पर भुगतान	नगर निकाय एं स्वशासी निकाय है जो अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में सक्षम है। नगर पंचायत, का मुख्य कार्य एवं उद्वेश्य निकायों के नागरिको को सफाई व्यवस्था करना है। नगर पंचायत, बख्तियारपुर के स्थापना के समय मात्र 15000.00 पन्द्रह हजार जनसंख्या था। जिसके लिए 05 पॉच सफाई मजदुर थें। पूर्व से ही सफाई व्यवस्था बनाए रखने के उद्वेश्य से निर्वाची मंडल के निर्णय के अनुसार आवश्यकता को देखते हुए श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर 125.00 रू0 पर संविदा के आधार पर रखे जाते है। वर्तमान में नगर पंचायत, बख्तियारपुर की जनसंख्या 49000.00 के करीब हो गया है। उपरोक्त तथ्यो के अनुार 05 (पॉच) सफाई कर्मी से सफाई व्यवस्था प्रदान करना असम्भव है। नाला उड़ाही एवं सफाई के लिए एक ही वर्ग के लोग कार्य करने में सक्षम है। जो मुसहर जाति के है। सरकार के संकल्प सं0 347 दिनांक 11.02.06 एवं 74 के संशोधन के आलौक में समय – समय पर आवश्यकतानुसार एवं सरकार के निर्देश पर प्राथमिक दायित्वों के निर्वारण हेतु वार्डो के सफाई के लिए अतिरिक्त मजदूर रखना वाध्यकारी था। सरकारी दर पर मजदूरो से सफाई करायी गई है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		
12.	35	अंकेक्ष का परिचालन	अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वसूली हेतु प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई है। अतः इस कंडिका को विलोपित करने का कष्ट किया जाय।		

नगर कार्यपालक पदाधिकारी